कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 842/खनिज/ई–निविदा/बालू/2024–25 दिनांकः 28-02-2025

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बस्ती में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या 30/2020/781/86–2020–14(सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह (अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिए ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 17.03.2025 के पुर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक 21.03.2025 के सांय 5:00 बजे (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिए ई–निविदा पोर्टल "etender.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :–

क्रम सं0	तहसील	ग्राम	गाटा सं0/खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हे0मे)	सीमाएं				उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घनमी.में)	आधार मूल्य (रायल्टी x निर्धारित/आकलित मात्रा	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
					चौहद्दी		जियोकार्डिनेट					
							Latitude(N)	Longitude(E)				
1	बस्ती सदर	माझा खुर्द	1164/94	15.40हे0	उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम	आ0सं0 1164 का शेष भाग आ0सं0 1164 का शेष भाग आ0सं0 1164 का शेष भाग आ0सं0 1164 का शेष भाग	26°36'54.41"N 26°36'42.15"N 26°36'36.08"N 26°36'47.20"N	82°37'39.65"E 82°38'0.41"E 82°37'56.38"E 82°37'36.04"E	सा0 बालू	138600	9009000	4504500

1– अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।

2– जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

3– किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप मे दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

4– ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

5– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी(आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etender.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

6– निविदादाता द्वारा आनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लागिन कर तकनीकि बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारूप–2 की सूचनायें :–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0 नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0. 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ. पैन कार्ड का क्रमांक एवं जी0एस0टी0 पंजीयन का प्रमाण पत्र।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0. 2000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

ग. पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीयन नम्बर।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7– विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस दिनांक 22.03.2025 अपरान्ह 2:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8– यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9– बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि 22.03.2025 समय अपरान्ह 01:00 बजे (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक खनिज कार्यालय, बस्ती में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10– सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11– सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

12– प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

13– जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14– पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15– अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16– पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17– क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18– मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

19– अन्य नियम एवं शर्तें जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(प्रतिपाल चौहान)
अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
बस्ती।

पत्र संख्या– /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
3– आयुक्त बस्ती मण्डल, बस्ती।
4– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, स्थान अमेठी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
5– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
7– समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बस्ती।
8– नाजिर कलेक्ट्रेक्ट बस्ती को सूचना पट पर चस्पा हेतु।

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
बस्ती।

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम– ख. उपखनिज का नाम– ग. जनपद का नाम– घ. तहसील का नाम– ड. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम– च. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या– छ. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)– ज. विज्ञप्ति मे दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हॉ/नहीं)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम	
8.	स्थाई पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11.	ई–मेल आईडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र व पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र व पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
15.	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि.......................... बैंक का नाम व शाखा.......................... ड्राफ्ट का नम्बर....................................... ड्राफ्ट का दिनांक....................................... बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली दर ई–निविदा की दर– (ई–निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0–...............प्रति घन मी0 (अंको में) रू0–...............प्रति घन मी0 (शब्दो में)
15.	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिये दी गयी खनन योग्य भण्डार की मात्रा	...............................घनमीटर

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–
स्थानः–
निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम–...
पदनाम...

Signature Not Verified

Digitally signed by
PRASHANT
RAJKARAN YADAV
Date: 2025.03.07
14:32:59 IST